न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 715 / 2022

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. परमेश्वरी पुत्री बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. राजबाला पुत्री बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
3. हीरा पुत्री बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
4. सुरस्ती पुत्री बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
5. अनकोरी पुत्री बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
6. पतराम पुत्र बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
2. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 6/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 251 / 246 की कुल 18.9320है0 भूमि में से 1183 / 18932 हिस्सा मृतक बद्री पुत्र जोधा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बद्री पुत्र जोधा के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 का पिता है। बद्री पुत्र जोधा का देहान्त हो चुका है अतः वादी एवं प्रतिवादीगण बद्री पुत्र जोधा की जायज वारिस होने के कारण उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 1 ता 5 वादी एवं प्रतिवादी स0 6 की बहिने है जो की उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों यानि की वादी एवं प्रतिवादी स0 6 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:46 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी सम्वत 2075–2078 की वरवक्त ऑनलाईन करते वक्त वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 के पिता की जाति टंकणीय भूल से डाकोत (भार्गव) की जगह जाट दर्ज हो गयी जिसके कारण विरासतन इंतकाल दर्ज करने में परेशानी आ रही है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश क़िया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा (मय इकबाल दावा) पेश किया। प्रतिवादी सं0 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति नकल जमाबंदी रोही मौजा जबरासर बहक बद्री खाता स0 251, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक बद्री, वारिसनामा प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति जमाबंदी मिसल बन्दोबस्त 2029–38 बहक बद्री जिसमें कौम जोतकी साकिन चैनपुरा दर्ज है एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सोना देवी पत्नी बद्रीप्रसाद आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 के पिता बद्री पुत्र जोधा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। बद्री पुत्र जोधा का देहान्त हो चुका है इसलिए उक्त वाद भूमि को वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीया स0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों यानि की वादी एवं प्रतिवादी स0 6 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 251/246 की कुल 18.9320है0 भूमि में से 1183/18932 हिस्सा बद्री पुत्र जोधा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, बद्री पुत्र जोधा फौत हो चुका है अतः उक्त वाद भूमि दादालाई/विरासतन कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा बद्री पुत्र जोधा के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:46 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 251/246 के ख0न0 996 की 18.9320है0 भूमि में से 1183/18932 हिस्सा भूमि वादी के पिता बद्री पुत्र जोधा जाति जाट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, में वादी के पिता कि जाति जाट के स्थान पर डाकोत (भार्गव) के अंकन की घोषणा की जाती है तथा मृतक बद्री पुत्र जोधा का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 6 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/11/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 715/2022

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. परमेश्वरी पुत्री बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. राजबाला पुत्री बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
3. हीरा पुत्री बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
4. सुरस्ती पुत्री बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
5. अनकोरी पुत्री बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
6. पतराम पुत्र बद्रीप्रसाद जाति डाकोत (भार्गव) निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 14 सन 2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रामकुमार बैनीवाल व वकील प्रतिवादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 251/246 के ख0न0 996 की 18.9320है0 भूमि में से 1183/18932 हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पिता बद्री पुत्र जोधा जाति जाट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, में वादी के पिता कि जाति जाट के स्थान पर डाकोत (भार्गव) के अंकन की घोषणा की जाती है तथा मृतक बद्री पुत्र जोधा का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 6 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:46 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर